

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय) जयपुर

प्रथम तल, ब्लॉक 03 डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, बजाज नगर जयपुर -302015

## कार्यालय आदेश

निदेशालय धीकावेर के पत्रांक शिविरा-माध्य/साप्र/ए-2-3/स्थानान्तरण/2019/32 दिनांक 28.09.19 की पालना में निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं।

सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित को अविलम्ब कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाकर पालना से इस कार्यालय को अवगत करावें।

क्र.सं.	नाम कार्मिक बी/बीमती/बुपी	पद	कहाँ से	कहाँ को
01.	रजत शर्मा	कनिष्ठ सहायक	कार्यालय मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी धरसी जयपुर	राजकीय गुरुनानक भवन संस्थान जयपुर
02.	राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	कनिष्ठ सहायक	राजकीय गुरुनानक भवन संस्थान जयपुर	कार्यालय मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी धरसी जयपुर

नोट:- क्र.सं. 02 पर अंकित कार्मिक को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगफल देय होगा।

सम्बन्धित संस्था प्रधान कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवावे से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि :-

01. राजस्थान शैक्षिक गामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार (शहरी क्षेत्र के विधालयों हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे) ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावे।
02. प्रोवेशनरी ट्रेनी कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
03. यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से दिव्यांग/गम्भीर बीमारी (कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्योरोषण) परीवीणाधीन कार्मिक एवं सेवा निवृत्ति में एक वर्ष शेष रहने वाली श्रेणियों में आ रहा हो तो कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
04. कार्यमुक्त/कार्यग्रहण अतिव्ययतः शालादरपण के माध्यम से ही करवाया जावे।

हृ

(रामचन्द्र पिलानिया)

जिला शिक्षा अधिकारी


माध्यमिक (मुख्यालय) जयपुर

दिनांक 28.09.19

क्रमांक:- जिशिअ./मा./मुख्या/जयपुर/संस्थापन/पत्र-स्थानान्तरण/56/2019

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. श्रीमान विशिष्ट सहायक, मानवीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
02. श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान धीकावेर।
03. श्रीमान संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जयपुर संग्राम, जयपुर।
04. श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर।
05. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी .....
06. सम्बन्धित संस्था प्रधान/कार्मिक
07. रक्षित पत्रावली।

  
28-9-19  
जिला शिक्षा अधिकारी  
माध्यमिक (मुख्यालय) जयपुर

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा कोटा संभाग कोटा

क्रमांक : संयु.निदे./स्कूलशिक्षा/को/संस्था-3/2019/1363

दिनांक 29.09.2019

कार्यालय -आदेश

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा-माध्य/साप्र/ए-2-3/स्थानान्तरण/2019/33 दिनांक 28.09.19 की पालना में निम्नांकित कार्मिको के स्थानान्तरण तुरन्त प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय/विद्यालय में आदेशित किये जाते हे। संबंधित संस्था प्रधान इन्हे तत्काल शालादर्पण से कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण करवाकर इस कार्यालय एवं संबंधित कार्यालय को अवगत करावे।

क्रसं.	नाम कार्मिक	पद	कहाँ से	जिला	कहाँ को	जिला
1	साजिद मोहम्मद	व.सहा.	राउमावि भाण्डाहेडा	कोटा	राउमावि देवलीअरब कोटा	कोटा
2	राजेश जोशी	व.सहा.	राउमावि देवलीअरब कोटा	कोटा	राउमावि भाण्डाहेडा	कोटा

क्रसं. 2 पर अंकित कार्मिक को नियमानुसार यात्राभत्ता एवं योगकाल देय होगा।

उपरोक्त स्थानान्तरण निम्नांकित शर्तो के अध्वधीन किये जाते हे।

- 1-राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिको को पदस्थापन नियमा के अनुसार (शहरी क्षेत्र के विद्यालय हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे) ही कार्यमुक्त कार्यग्रहण करवाया जावे।
- 2-यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोना पैरो से दिव्यांग/गंभीर बीमारी (कैन्सर,ब्रेन ट्यूमर/गुर्दा प्रत्यारोपण) प्रोबेशनर ट्रेनी एवं सेवानिवृति में एक वर्ष से शेष रहने वाली श्रेणियो मे आ रहा हो तो कार्मिक को कार्यमुक्त /कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।



संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)  
कोटा संभाग कोटा

दिनांक: 29.9.19

क्रमांक:संनि/स्कूल शिक्षा/को/संस्था-3/स्थानान्तरण/2019/1363  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवँ आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1-विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार ) राज. जयपुर
- 2-निदेशक माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
- 3-मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कोटा/बारां/बून्दी/झालावाड
- 4-जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारंभिक कोटा/बारां/बून्दी/झालावाड
- 5-संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी .....
- 6-संबंधित संस्था प्रधान
- 7-संबंधित कार्मिक
- 8-रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)  
कोटा संभाग कोटा